अनुबन्ध - 2

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2008-2009 तथा 2009-2010 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

		बजट अनुमान 2008-2009	संशोधित अनुमान 2008-2009	बजट अनुमान 2009-2010
क.	ऋण	19209.93	19578.35	27080.41
ख.	नकद अनुदान	1755.31	2745.52	2134.20
ग.	वस्तु अनुदान सहायता	40.02	2.49	2.00
घ.	**जोड़ (क+ख+ग)**	**21005.26**	**22326.36**	**29216.61**
ङ	ऋणों की वापसी-अदायगी	8220.66	9975.15	11033.84
च.	विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	12784.60	12351.21	18182.77
छ.	ऋणों पर ब्याज अदायगी	4143.17	4158.80	4313.37
ज.	विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	8641.43	8192.41	13869.40

दो विवरण अर्थात विवरण 1 जिसमें विदेशी ऋणों की प्राप्तियां और वापसी-अदायगियां दिखाई गई है तथा विवरण 2 जिसमें अनुदान तथा वस्तु सहायता का ब्यौरा दिया गया है, इस अनुबंध के साथ संलग्न हैं।

द्विपक्षीय विकास सहयोग नीति के अनुसार जी-8 के सभी देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के., जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रुसी संघ के साथ यूरोपीय आयोग से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त की जाएगी।

उन द्विपक्षीय विकास साझीदारों, जिनसे सरकारी स्तर पर विकास सहायता प्राप्त न करने का निर्णय किया गया है, को सलाह दी गई है कि वे अपनी विकास सहायता भारत में गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों आदि को प्रदान करने पर विचार करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी विकास सहायता बहुपक्षीय विकास अभिकरणों के माध्यम से देने पर भी विचार करें।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है:-

I. कनाडा

भारत को कनाडा की आर्थिक सहायता 1951 में शुरू हुई। कनाडा की सहायता कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा) के माध्यम से दी जाती है। 1 अप्रैल, 1986 से सीडा द्वारा दी जाने वाली सहायता अनुदान के रूप में है।

भारत सरकार ने अक्तूबर 2003 में, द्विपक्षीय ऋणों पर अपनी नीति के अनुसार 1966-1984 के दौरान भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की एवज में 419.941 मिलियन सीएडी के संपूर्ण बकाया कनाडाई ऋण की समय पूर्व-अदायगी की थी।

अभी हाल में कनाडा सरकार की द्विपक्षीय सहायता से कोई नई परियोजना आरम्भ नहीं की गई है।

II. जर्मनी

जर्मनी भारत के सबसे बड़े द्विपक्षीय विकास सहयोग भागीदारों में से एक है। जर्मनी वर्ष 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय सहायता मुख्यतया कम ब्याज वाले ऋण, घटाए गए ब्याज वाले ऋण, विकास ऋण के साथ-साथ केएफडब्ल्यू, जो जर्मन सरकार का विकास बैंक है, के माध्यम से अनुदानों के रूप में प्रदान की गई है। तकनीकी सहायता जीटीजेड, जो जर्मन सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला निगम है, के जरिए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। भारत जर्मन विकास सहायता कार्यक्रम में ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, क्षेत्र सुधार, शहरी और औद्योगिक पर्यावरण संरक्षण सहित पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन और ग्रामीण वित्त पोषण सहित सतत आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं, एसएमई विकास और वित्त पोषण जैसे पारम्परिक सहमत क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से बाहर, वित्तीय सहयोग पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी रहेगा। जर्मन ओडीए सर्व-भारत कवरेज में होगी।

जो मुख्य परियोजनाएं/कार्यक्रम जर्मन सहायता के तहत निधि पोषित की जा रही हैं, वे हैं, ऊर्जा क्षमता कार्यक्रम, ग्रामीण जलापूर्ति (परियोजना), पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, नाबार्ड/सिडबी, रेल सिग्नल प्रणाली आदि में वित्तीय सहायता।

वर्ष 2008-09 (दिनांक 31.8.2008 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सरकारी ऋणों का कुल संवितरण अनुदानों के 231.44 करोड़ रुपए था जबकि सरकारी अनुदानों के सम्बन्ध में संवितरण 21.28 करोड़ रुपए था।

III. इटली

इटली वर्ष 1981 से भारत को रियायती ऋण के रूप में द्विपक्षीय सहायता प्रदान कर रहा है और इटली सरकार और भारत सरकार के बीच दिनांक 31.3.2007 तक अनेक मुद्राओं में 21 ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के 16 शहरों में 'जलापूर्ति तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना' जैसी एकमात्र परियोजना अस्तित्व में है। इटली इस परियोजना हेतु 25.82 मिलियन पौंड ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिनांक 31.12.2008 की स्थिति अनुसार कुछ संवितरित राशि 4 करोड़ रुपए के स.अ. की तुलना में 1.85 करोड़ रुपए थी।

IV. जापान

जापान से ओडीए नीचे दिखाई गयी स्थिति के अनुसार होगीः

जापान से ऋण

स.अ. 2008-09	-	3916.85 करोड़ रुपए
ब. अ. 2009-2010	-	7575.54 करोड़ रुपए

नए ऋण निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त होने की आशा हैः-

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1.	चेन्नई मेट्रो परियोजना
2.	हैदराबाद आउटर रिंग रोड़ परियोजना (चरण-2)
3.	वन प्रबन्धन तथा कार्मिक प्रशिक्षण परियोजना सम्बन्धी क्षमता विकास
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऊर्जा बचत परियोजना
5.	गुवाहाटी जलापूर्ति परियोजना
6.	केरल जलापूर्ति परियोजना III
7.	होगेनक्कल जलापूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना II
8.	दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 2 IV

इसके अलावा, जापान से प्राप्त ओडीए ऋण सहायता से 985499 मिलियन जापानी येन की कुल सहायता से मौजूदा 57 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

V. रूसी परिसंघ

न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वीवीईआर-1000 टाइप प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 2000 मेगावाट क्षमता (दो इकाइयां) की कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। यह परियोजना भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच दिनांक 20.11.1988 को हस्ताक्षरित अंतर-सरकार करार और दिनांक 21.6.1998 को हस्ताक्षरित उसके समर्थक दस्तावेज के तहत तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के दौरान कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए क्रमशः 960.34 करोड़ रुपए और 603.62 करोड़ रुपए की सहायता का उपयोग किए जाने का अनुमान है।

VI. यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1958 से अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। अनुदानों के सन्दर्भ में, यू.के. इस समय भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय विकास सहयोग साझेदार है।

वर्तमान में यू.के. की विकास सहयोग सहायता परस्पर सहमत परियोजनाओं जैसे शिक्षा, शहरी विकास, स्वास्थ्य और ग्रामीण आजीविका गरीबी उन्मूलन के बढ़े हुए दायरे के कार्य के भीतर प्रदान की जाती है। डीएफआईडी सहायता का लगभग 50% भाग केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और शेष भाग राज्य क्षेत्र परियोजना हेतु प्रदान की जाती है। आन्ध्र-प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पं. बंगाल यू.के. की सहायता के प्राथमिकता वाले राज्य हैं। जून, 2008 में डीएफआईडी ने अपने नए कंट्री प्लान भारत के लिए 2009-15 की घोषणा की है। यह सहायता भारत सरकार की केन्द्र प्रायोजित योजना और मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार में सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं पर पर केन्द्रित होगी।

इस समय डीएफआईडी की 1660.45 मिलियन पौंड की सहायता से 31 चालू परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान डीएफआईडी की सहायता के लिए 506.7 मिलियन पौंड (4055 करोड़ रुपए) के कुल अनुदान वाली नौ नई परियोजनाएं हस्ताक्षरित की गई थीं। वर्ष 2007-08 के दौरान

डीएफआईडी की कुल संवितरित राशि 198.15 मिलियन (1600 करोड़ रुपए) थी। 1090 करोड़ रुपए के ब.अ. की तुलना में 2009-10 में 1030 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की आशा है।

VII. संयुक्त राज्य अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका 1951 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा यूएसएआईडी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान के रुप में है।

उपर्युक्त कुल सहायता में अमरीकी राजकोषीय वर्ष के दौरान प्राधिकृत 30.165 मिलियन अमरीकी डालर की यूएसएआईडी की विकास सहायता शामिल है, जो दिनांक 30.9.2008 को समाप्त हो गई थी तथा उसमें वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 27.534 मिलियन अमरीकी डालर के लिए निम्नलिखित 9 (नौ) करार/संशोधनात्मक करार शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान यूएसआईडी के तहत प्राप्त होने वाली सहायता 84.21 करोड़ रुपए अनुमानित है।

VIII. यूरोपीय आयोग (ईसी)

यूरोपीय आयोग (ईसी) 1976 से भारत को विकास सहयोग सहायता प्रदान कर रहा है। भारत को ईसी सहायता अनुदानों के रूप में है और वर्तमान में यह पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित है।

ईसी द्वारा भागीदार देशों के लिए अपने देशी कार्यनीति कागजातों के द्वारा बहु-वार्षिक आर्थिक और विकास सहयोग कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। 2002-06 के लिए भारत हेतु सीएसपी के अंतर्गत यूरोपीय आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण तथा छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ राज्य भागीदारी कार्यक्रम (एसपीपी) में 225 मिलियन यूरो का आवंटन किया था। यूरोपीय आयोग ने (छत्तीसगढ और राजस्थान प्रत्येक के लिए 80 मिलियन यूरो) छः वर्ष के लिए 160 मिलियन यूरो प्रदान करने की वचनबद्धता की है।

यूरोपीय आयोग ने दिनांक 20.7.2007 को भारत 2007-2013 के लिए नया देशीय कार्यनीति दस्तावेज (सीएसपी) जारी किया था। सीएसपी के अंतर्गत दो बहुवार्षिक निर्देशात्मक कार्यक्रम (एमआईपी) होंगें। पहले एमआईपी के अंतर्गत वर्ष 2007-2010 की अवधि के लिए 260 मिलियन यूरो की कुल राशि की वचनबद्धता की गई है और भारत और यूरोपीय आयोग के बीच दिनांक 30.11.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आयोग ने स्वास्थ्य के लिए 110 मिलियन पौंड, शिक्षा के लिए 70 मिलियन पौंड और संयुक्त कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु 80 मिलियन पौंड के आवंटन की सहमति दी है।

IX. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों, गैर-ऋण सेवाओं जिनमें विश्लेषणात्मक और परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देकर मध्यम आय वाले देशों और ऋण प्राप्त करने के योग्य निर्धन देशों में गरीबी को कम करना है।

12 फरवरी, 2008 से आईबीआरडी ने अपने ऋण प्रस्तावों, नियत विस्तार ऋण (एफएसएल) और परिवर्ती विस्तार ऋण (वीएसएल) को एक उत्पाद श्रेणी - आईबीआरडी लचीला ऋण अथवा आईएफएल में समेकित किया है। एफएसएल और वीएसएल में परिवर्ती आधार दर (6 माह लिबोर) के साथ-साथ विस्तार को समाप्त कर दिया गया है। प्रत्येक ब्याज भुगतान की तारीख को ऋण दर पुनः निर्धारित की जाती है और उन तारीखों को आरंभ ब्याज अवधियों पर लागू होती है। विस्तार को "नियत" अथवा 'परिवर्ती' बनाया जा सकता है जो उधारकर्ता के विकल्प पर निर्भर करेगा।'परिवर्ती' विकल्प के लिए विस्तार में निधिपोषण के लिए 6 माह लिबोर (वर्ष में दो बार पुनः परिकलित) के सापेक्ष आईबीआरडी का भारित औसत लागत मार्जिन तथा आईबीआरडी का संविदात्मक ऋण विस्तार होता है। जुलाई 2008 की स्थिति अनुसार आईएफएल की ऋण दर लिबोर-2 है। कोई वचनबद्धता शुल्क देना नहीं होगा और ऋण राशि का 0.25 प्रतिशत फ्रंट एंड शुल्क देना होगा।

आईबीआरडी का ऋणों के जरिए दिनांक 30-9-2008 तक संचयी ऋण 30712.26 मिलियन अमरीकी डालर है। वचनबद्धताएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सिंचाई, पन बिजली, ग्रामीण सहकारिताएं, सड़क, आर्थिक सुधारों आदि परियोजनाओं के लिए हैं।

वर्ष 2008 (दिनांक 30.9.2008 तक) के दौरान 906 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता राशि के साथ तीन नई परियोजनाएं स्वीकृत की गयी।

X. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक का रियायती सहयोगी है और बैंक के गरीबी उन्मूलन अभियान को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईडीए सहायता विश्व के 81 निर्धनतम देशों पर केन्द्रित है जिन्हें यह ब्याज मुक्त ऋण (क्रेडिट के रूप में ज्ञात) और अन्य ऋण भिन्न सेवाएं प्रदान करता है। आईडीए अपने अधिकांश वित्तीय संसाधनों के लिए अपने धनी देशों जिसमें कुछ विकासशील देश शामिल हैं, के अंशदान पर निर्भर करता है।

भारत को दिनांक 30.6.1987 तक अनुमोदित ऋणों की 50 वर्ष में वापसी-अदायगी की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है और दिनांक 1.07.1987 से अनुमोदित ऋणों की वापसी-अदायगी 35 वर्ष में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। आईडीए ऋणों पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है परन्तु ऋण के संवितरित राशि के भाग पर वार्षिक 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है।

भारत को आईडीए सहायता जून, 1961 में शुरू हुई और यह वैदेशिक सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। दिनांक 30.9.2008 तक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, कृषि, गरीबी उन्मूलन आदि विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए आईडीए द्वारा भारत को दिया गया संचयी ऋण 32862.56 मिलियन अमरीकी डालर है।

वर्ष 2008 के दौरान (दिनांक 30.9.2008 तक) 1259.4 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता के साथ चार नयी परियोजनाएं अनुमोदित की गयी।

XI. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

भारत 1966 से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का संस्थापक सदस्य रहा है। एडीबी एशिया प्रशान्त क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ाने में कार्यरत है। यह ऋण, विकस परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने और संपादित करने में तकनीकी सहायता, और अन्य परामर्शी सेवाओं, गारंटियों, अनुदानों, नीतिगत वार्ताओं के रूप में सहायता प्रदान करता है।

भारत एडीबी से सरकार द्वारा जारी समग्र विदेशी ऋण प्रबंधन नीति के भीतर ऋण लेता है जिसमे परिपक्वताओं के साथ रियायती शर्तों पर निधियां जुटाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। भारत ने एडीबी (सामान्य पूँजी मात्र) से 1986 से उधार लेना प्रारम्भ किया है। हालांकि, भारत एशिया विकास निधि (एडीएफ) जिससे रियायती निधिपोषण प्राप्त होता है, से आंशिक रूप से ऋण प्राप्त करने का पात्र हैं, परन्तु भारत ने जानबूझकर स्वयं को इस सुविधा से बाहर रखा है ताकि अल्पतम विकसित देश इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें।

15 जुलाई, 2008 को एडीबी के पोर्टपोलियो में 7.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की निवल ऋण राशि सहित 36 ऋण और 4 बिलियन अमरीकी डॉलर की असंवितरित राशि शामिल हैं।

एडीबी ने सुनामी के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का विशेष अनुदान और तमिलनाडु तथा केरल राज्य को अपातकालीन राहत के रूप में 10.3 मिलियन अमरीकी डॉलर के 3 जेएफपीआर (गरीबी उन्मूलन की जापान निधि) भी प्रदान किया।

कैलेण्डर वर्ष 2008 (अक्तूबर 2008) तक निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित हुई/एडीबी के साथ बातचीत की गईः-

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राशि मिलियन अमरीकी डालर में
1.	एमएफएफ- नेशनल पावर ग्रिड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम	600
2.	एमएफएफ- हिमाचल क्लीन पावर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम	800
3.	खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट प्रोग्राम	150
4.	असम गवर्नेंस एंड पब्लिक रिसोर्स मैनेजमेंट II	100
5.	एमएफएफ- उड़ीसा इंटिग्रेटिड इरिगेटेड एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम	189
6.	बिहार स्टेट रोड़ I	420
7.	मध्य प्रदेश अरबन सैक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (सप)	71
8.	एमएफएफ- उत्तराखंड अरबन सैक्टर डेवलपमेन्ट इन्वेस्टमेंट प्रोगाम	350
	जोड़	2680

XII. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1951 से देश में मौजूद भारत का विकास में भागीदार रहा है। यूएनडीपी का समग्र मिशन गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय रक्षा को प्राथमिकता देकर स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों की सहायता करना है। यूएनडीपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता अनुदान के रूप में होती है।

यूएडीपी अपनी निधियां विभिन्न दाता देशों से स्वैच्छिक अंशदान से जुटाता है। भारत का यूएनडीपी को 4.5 मिलियन अमरीकी डालर का वार्षिक अंशदान देता है, यह विकासशील देशों में से सबसे अधिक है।

XIII. ओपेक

ओपेक भारत सरकार को वर्ष 1977 से ऋण सहायता उपलब्ध करा रहा है। ओपेक के साथ लगभग 15 ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान 'सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी' को ढाँचागत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में 9 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है।

विवरण 1
विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	प्राप्तियां			वापसी-अदायगियां		
	बजट अनुमान 2008-2009	संशोधित अनुमान 2008-2009	बजट अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 2008-2009	संशोधित अनुमान 2008-2009	बजट अनुमान 2009-2010
बहुपक्षीय						
आई. बी. आर. डी.	4101.62	3194.26	5325.87	1321.14	1549.31	1827.28
आई. डी. ए.	4804.42	5032.53	5769.86	3047.25	3531.45	3850.89
आई. एफ. ए. डी.	70.50	81.62	130.10	41.52	47.30	51.05
ए. डी. बी.	5513.85	6016.19	7352.38	441.81	491.35	621.05
ई. ई. सी, (एस. ए. सी)	...	...	...	6.09	6.93	6.99
ओ. पी. ई. सी.	10.95	13.50	9.00	3.29	3.88	4.06
कुल (बहुपक्षीय)	**14501.34**	**14338.10**	**18587.21**	**4861.10**	**5630.22**	**6361.32**
द्विपक्षीय						
जर्मनी	236.80	336.73	294.04	384.94	443.61	453.74
फ्रांस	14.08	22.33	...	215.95	250.52	239.22
इटली	20.00	4.00	20.00	...	...	...
जापान	3462.71	3916.85	7575.54	2131.41	2862.61	3115.34
स्विटजरलैंड	...	...	...	2.31	2.83	2.97
संयुक्त राज्य अमरीका	...	...	...	284.14	335.38	282.57
रूसी संघ	975.00	960.34	603.62	340.81	449.98	578.68
कुल (द्विपक्षीय)	**4708.59**	**5240.25**	**8493.20**	**3359.56**	**4344.93**	**4672.52**
कुल जोड़	***19209.93***	***19578.35***	***27080.41***	***8220.66***	***9975.15***	***11033.84***

विवरण 2

विदेशी मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से अनुदान तथा वस्तु सहायता

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	बजट अनुमान 2008-2009	संशोधित अनुमान 2008-2009	बजट अनुमान 2009-2010
बहुपक्षीय			
ए.डी.बी	150.00	100.00	42.36
आई. एफ. ए. डी.	25.00	15.00	10.00
आई बी आर डी (अमरीकी डालर)	3.75	5.84	2.00
आई डी ए (अमरीकी डालर)	2.00	12.69	10.25
द्विपक्षीय			
जर्मनी	86.58	36.27	76.00
जापान	...	4.80	50.00
नीदरलैंड	0.02	...	...
यूनाइटेड किंगडम (डी.एफ.आई.डी)	1090.00	1676.00	1030.00
ई. ई. सी.	130.04	246.44	350.00
संयुक्त राज्य अमरीका सहायता	67.15	84.21	83.81
अन्तरराष्ट्रीय निकाय			
जी.ई.एफ.	200.00	505.00	407.00
यू. एन. डी. पी.	40.79	58.11	67.78
यू.एन.एफ.पी.ए.	...	3.65	7.00
जोड़	**1795.33**	**2748.01**	**2136.20**